

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/45/2011-अ.भा.से.-1


भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : 14 मार्च, 2012

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और मध्यप्रदेश सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री शन्मुगा प्रिया आर. , भा.प्र. से. (तमिलनाडु:10) को श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से. (म.प्र.:10) के साथ विवाह के आधार पर, तमिलनाडु संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में एतदद्वारा स्थानान्तरित करती है।



(नरेंद्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)